

क्रम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
------	--------------------------------------	--

तब ग्राम चावरी तहसील खण्डेला कृषि भूमि क्र. नं. 832, 834, 851, 852, 1087/1, 1087/2, 1099 एका 10.35 हे. का विवादी पक्षकारों को सूचित कर उनकी उपस्थिति में स्वयं मौका-निरीक्षण कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज एक-हिस्सा अनुपात एवं मौकों पर कब्जा-कारत के आधार पर प्रत्येक-प्रत्येक लगान कायम कर भिन्न बट्टा नम्बर डालते हुए नक्शा ड्रेस में तालीम कर विल्टत विभाजन उस्ताव तैयार कवाया जाना सुनिश्चित करें। बास्ते प्राप्त होने विल्टत विभाजन उस्ताव हेतु पत्रावली आईन्दा दिनांक 15/03/19 को पेश हो।

भागीदार तालीम  
 (M/S)  
 सहायक कलक्टर  
 (फारट ट्रेक) खण्डेला

15<sup>03</sup>/<sub>19</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकिलाग उप. अनुसस्थित/ पीठासीन अधिकारी लोरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-02/04/19 को पेश हो

02<sup>04</sup>/<sub>19</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकिलाग उप. अनुसस्थित/ पीठासीन अधिकारी लोरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-09/04/19 को पेश हो

04  
 19

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार खण्डेला की खौर से विल्टत विभाजन उस्ताव पेश किया गया जो शामिल फावली किया गया। प्रतिवादी सं. 4 की तालीम पूर्व में सम्मिल होकर लोटी है। बावजूद सम्मिल तालीम प्रतिवादी सं. 4 की खौर से कोई

हार्जिट अदालत नहीं आया। अतः उतिवादी सं. 4 के मिलाए एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। पकील वादी ने हार्जिट होकर विस्तृत विभाजन अस्ताव से सहमति जाहल कले हुए उक्ता में मुताबिक विस्तृत विभाजन अस्ताव अंतिम डिक्री जारी किमें जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं आरम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन अस्ताव का अवलोकन किया गया। चूंकि विवादीत पत्रकार विस्तृत विभाजन अस्ताव से सहमत हैं। अतः वादी का वाद मुताबिक विस्तृत विभाजन अस्ताव अंतिम लगे डिक्री किया जाता है। विस्तृत विभाजन अस्ताव अंतिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन अस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अमल दफ्त हो तब वादी की हिस्सा क्रमि पर उतिवादी सं. 4 का रहन उतिवादी सं. 1 ता 3 के हिस्से आयी क्रमि पर रखा जाता है। तदनुसार उक्ता में पर्या डिक्री जारी हो। पत्रावली फंसल शप्राट होकर नम्बर से कम हो तब बाद तल्लमिल दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनया गया।



सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डला

09/04/2019

# डिक्री मुकद्दमा इस्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाळा दीवान)

133

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मुकाम छठेला

व इजलास श्री भागीव्य शाख, RAS

① दुर्गासिंह \* वगण ② दशरथसिंह \*

दावा तागत तकास्मा व स्वार्ह निषेधात्

मुकद्दमा नं. 137 सं. 2018

म्ह मुकद्दमा आज वारते इनाफिसाल करतई करवर श्री भागीव्य शाख, RAS

व हाजिरी श्री भजनाराम गिनजागित मुद्दा करवर श्री वसन्त कुमार

वर्मा गिनजागित मुदायलतः पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि

तहसीलदार छठेला विवादीत भूमियों अस्वित तन ग्राम बावडी तहसील

छठेला कृषि भूमि ख.नं. 832, 834, 851, 852, 1087/1, 1087/2,

1099 कवा 10.35 हे. का विवादीत पदखतों को सूचित कर अन्की

उपस्थिति में स्वयं मौला-निरीक्षण कर राजस्व रेकोर्ड में दर्ज हक-हिस्सा \*

गिज \* गुवलिंग \* वागत \*

अर्था इस मुकद्दमे के मय सूद नशरह \* गीसदी तकास्मा आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक \* का अदा करे।

गरात मेरे दरतखत व मुद्दर अदालत क आज तारीख 05 माह 02 सं. 2019 को

जारी की गई।

मुद्दर

सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला  
(RAS)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदायलतह	रुपये	पैसे
रताम्य अर्जी दावा			रताम्य अर्जी दावा		
रताम्य वकालत नामा			रताम्य अर्जी		
रताम्य वजह सबूत			गहननामा वकालत		
गहननामा वकील			अर्चा गवाहान		
अर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			दायत इजराय हुकम मा		
दायत इजराय हुकमनामा			मुताफरिक		
मीजान			मीजान		



नोट इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

\* पुत्र रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी बावडी तहसील  
छठेला जिला सीकर राज.

- बायी

बनाम

\* ① बजंगसिंह ② माधोसिंह पुत्राण रघुनाथसिंह  
समस्त जाति राजपूत निवासी बावडी तहसील छठेला  
जिला सीकर राज.

④ पंजाब नेशनल बैंक शाखा बावडी जिये मैनेजर

⑤ भूमिधारी तहसीलया छठेला

- उत्तिनाकीगण

\* अनुसार खं सोके पर कब्जा-काश्त के आधार पर पृथक-  
पृथक लगान कायम कर भिन बदरा नम्बर डालते हुए  
नक्शा ट्रेस में तस्मीन कर विस्तृत विभाजन उत्तरव तैयार  
करवाया जाना सुनिश्चित करें।



पंजाब नेशनल बैंक  
S. J. (P.N.S.)  
सहायक कलेक्टर  
(कास्ट ट्रेक) छठेला